BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 641/2019

Anil,

Versus

State of Madhya Pradesh

REPLY ON BEHALF OF M.P. Pollution Control Board (MPPCB)

The Madhya Pradesh Pollution Control Board respectfully submits its reply in pursuance to the following directions given by the Hon'ble tribunal vide its order dated 20.08.2019 :-

Hon'ble NGT Order dated 20.08.2019

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal cutting of trees and encroachment by a colonizer on the Government land and Saraswati River at A.B. Road, village Bijalpur, District Indore, Madhya Pradesh.

Let the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in ."

1. That, in compliance of the above directions given by the Hon'ble Tribunal, Member Secretary, M. P. Pollution Control Board, Bhopal vide its order no. 1090 dated 24.08.2019 directed Regional Officer Indore to submit action taken report. Regional Officer MPPCB at Indore, vide its order no. 2510 dated 22.08.2019, constituted an inspection team comprising of officers namely (1) Dr. D.K. Wagela, Lab Incharge, Regional Lab, M.P. Pollution Control Board, Indore, (2) Mr. K.P. Soni, Executive Engineer, Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Indore and (3) Mr. S.N. Patil, Chief Chemist, Regional Lab, M.P. Pollution Control Board, Indore, M.P. to inspect the site and submit the report as directed by this Hon'ble Tribunal. Also Regional Officer, MPPCB wrote letter to Collector Indore and Commissioner Nagar Nigam Indore vide letter no. 2639 dated 05.09.2019 informing them about the subject matter along with the copy of the order dated 20.08.2019 passed by this Hon'ble Tribunal & requested them to nominate concern officer to conduct joint inspection with the team of MPPCB.
2. That, the Collector Indore nominated Sub Divisional Magistrate (Revenue), Rau, Indore & Commissioner IMC nominated zonal officer, zone-13, Bijalpur to participate in joint inspection.
3. That, the MPPCB conducted inspection on 12.09.2019 with the officers of Revenue Department and Municipal Corporation Indore. The inspection & action taken report is enclosed as **<u>Annexure R-1</u>**.
4. That, Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the aforesaid report on record.

Date: 19.09.2019

Place: Indore

Submitted by:-

M.P. Pollution Control Board

19.9.19

Through Officer in Charge

[S.N. Patil]

Chief Chemist, MPPCB, Indore

एस. एन. पाटिल
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर

Annexure R-1

Regional Office
M P Pollution Control Board
Sch. No. 78/C, Part II, Aranya, Vijay Nagar, Indore-452010 (MP)
Phone: 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

Joint Inspection & Action Taken Report (NGT Case no. 641/2019)

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the application no. 641/2019 passed following order on 20.08.2019.

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal cutting of trees and encroachment by a colonizer on the Government land and Saraswati River at A.B. Road, village Bijalpur, District Indore, Madhya Pradesh.

Let the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in ."

In compliance of above order, Member Secretary, M.P. Pollution Control Board (MPPCB), Bhopal directed Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Indore vide letter no. 1090 dated 24.08.2019 to submit action taken report directly to Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. Regional Officer, MPPCB at Indore constituted a team of the undersigned officers vide letter no. 2508 dt. 22/08/2019 to inspect the site & submit the inspection & action taken report. Following observations & action taken report are submitted :

1. Regional Officer, MPPCB, Indore wrote letter to Collector Indore and Commissioner Nagar Nigam Indore vide letter no. 2369 dated 05.09.2019 (Annexure-1) informing them about the subject matter along with the copy of

the order dated 20.08.2019 passed by the Hon'ble Tribunal & requested them to nominate concern officer to conduct joint inspection with the team of MPPCB.

2. On behalf of Collector Indore, Mr. R.K. Singh, Sub Divisional Magistrate (SDM), Rau, Indore was nominated to join inspection team. Commissioner, Nagar Nigam Indore directed Mr. Nadeem Khan, Zonal Officer, Zone no. 13, Bijalpur, Indore to participate in inspection work.

3. Team of MPPCB Officers visited the site on 12.09.2019. Mr. Rakesh Pagare, Revenue Inspector joined inspection team on behalf of SDM, Rau, Indore. Mr. Nadeem Khan, Zonal Officer, Zone no. 13, Bijalpur, Indore was present on behalf of Nagar Nigam Indore.

4. Team of MPPCB also informed complainant Mr. Anil Parmar & colonizer Mr. Anurag Maheshwari (M/s. Shri Shristi Construction Pvt. Ltd., Indore) to remain present during inspection. Mr. Anil Parmar & others were present at the time of inspection. Panchnama made at the site is enclosed as **Annexure-2**.

5. Following issues have been raised in the complaint before Hon'ble National Green Tribunal :-

(a) M/s. Shri Shristi Construction colonizer (AVASA Colony) has encroached government nalla, river Saraswati & blocked the flow of river.

(b) 25 to 50 trees have been cut without proper permission.

6. It is pertinent to mention here, that both the above issues are not related to MPPCB, however as per directions of Hon'ble National Green Tribunal, the inspection conducted along with the Officials of above concerned departments to investigate the issues mentioned in the complaint.

7. Team observed that M/s. Shri Shristi Construction Pvt. Ltd. (Owner-Shri Anurag s/o Shri Radheshyam Maheshwari, 374/4, Bijalpur, A.B. Road, Indore) has taken permission to develop plot based residential colony in survey no. 806, 807/1, 807/2 & other, area- 3.348 Hac. from Town & Country Planning, Department at Indore. Copy of the permission is enclosed as **Annexure-3**. Also

colonizer has obtained permission of Nagar Nigam Indore vide dated 28.01.2016 (**Annexure-4**)

8. During inspection, the complainant informed that 02 small Culverts have been constructed by colonizer without permission on Saraswati River & Local Nalla near colony. SDM, Rau, Indore, submitted the information regarding above issues vide letter no. 480 dated 18.09.2019 (**Annexure-5**). SDM, Rau, Indore informed that the colonizer have been granted permission by District Magistrate Indore, to construct above culverts. Thus, the complaint of constructing above culverts without permission has not been found to be incorrect.
9. During inspection, the complainant, pointed out that, the colonizer has cut many trees without permission. SDM, Rau, Indore vide letter no. 480 dated 18.09.2019 informed that there is no revenue record found of existence of trees in Khasra No. 402, 441, 832. In the light of above information, the complaint of cutting of trees not appears to be correct.
10. Team of MPPCB, observed that the channelization of nalla is being done by the colonizer**(Photographs enclosed Annexure-6).** SDM, Rau, Indore informed that no permission has been taken for above chanellization.
11. Zonal Officer, Nagar Nigam Indore, zone-13 have submitted his observations along with record vide letter no. 833 dated 18.09.2019. The letter is enclosed **Annexure-7**.
12. Zonal Officer, Nagar Nigam Indore, zone-13 has submitted that during road construction, no trees have been cut. Similar observations have been submitted by SDM, Rau, Indore.

Thus, from the above observations, it is evident that the colonizer has constructed road & culverts with the necessary permissions of Collector Indore. Also the tree cutting complaint has not been found to be correct in the light of letter submitted here in above, by SDM, Rau & Zonal Officer Nagar Nigam.

The permission related to channelization of Nalla has not been submitted by any of the authority and even by the colonizer. Hence, the colonizer M/s. Shri Shristi Construction Pvt. Ltd., Khasra No. 374/4 Bijalpur A.B. Road, Indore 452012, may be instructed to obtain necessary permission of nalla chanellization as per rule from competent authorities. It is humbly submitted that the complaint matter is related to Collector Indore & Nagar Nigam Indore and not related to MPPCB.

19.9.19	19.09.2019	19.9.19
(S.N. Patil)	(K.P. Soni)	(Dr. D.K. Wagela)
Chief Chemist	Executive Engineer	Chief Chemist & Lab-Head
Regional Lab, MPPCB, Indore	Regional Office, MPPCB, Indore	Regional Lab, MPPCB, Indore

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय,
म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

योजना क्रं0 78–सी प्लाट नं0–1,पार्ट–2 अरण्य विजयनगर इन्दौर. 452010
☎ 2555436 फैक्स : 4035618 e-mail:-romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 2639 / त0शाखा / 19 इन्दौर, दिनांक 05/09/19

प्रति,

1. कलेक्टर महोदय,
   जिला–इन्दौर
2. आयुक्त,
   नगर निगम, इन्दौर।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रं. 641 / 2019 (श्री अनिल विरूद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के पालनार्थ।

उपरोक्त विषय के बारे में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रं. 641 / 2019(श्री अनिल विरूद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की छायाप्रति संलग्नक–1 के अनुसार है। माननीय हरित अधिकरण में श्री अनिल कुमार द्वारा प्रेषित शिकायत मूलतः आवासा कॉलोनी द्वारा वृक्षों के काटने एवं सरस्वती नदी में अतिक्रमण करने से संबंधित है।

एतद् द्वारा निवेदन है कि, प्रकरण की जांच बोर्ड अधिकारियों द्वारा की जाना है। अतः विषय से संबंधित आप महोदय के विभाग के संबंधित अधिकारी को जांच दल हेतु नामंकित करने की कृपा करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(आर.के. गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ0क्र0 2640 / त0शाखा / 19 इन्दौर, दिनांक 05/09/19

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(आर.के. गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

Annexure-2

दिनांक 12/9/19

पंचनामा

हम उपस्थित पंचगण यह पंचनामा तहरीर कर देते हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण न. दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 691/2018 (श्री अमित विरुद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा कालोनी आवास नगर बिसनखेड़ी द्वारा वृक्षों के काटने एवं सरस्वती नदी में अतिक्रमण करने के शिकायत के तारतम्य में क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 2626 त.शा./19 इन्दौर दिनांक 5/9/19 द्वारा दल गठित कर जांच हेतु कर विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया। उक्त जांच के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मह., नगर निगम इन्दौर के झोनल अधिकारी एवम् क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला इन्दौर के अधिकारी आज दिनांक 12/9/19 को शिकायतकर्ता व सम्बन्धित शिकायत के कालोनी के प्रतिनिधि को भी समय व दिनांक अवगत कराते हुये गठित दल मौके पर उपस्थित हुआ। कालोनी की ओर से श्री शशांक जैन व पुलकित माहेश्वरी व शिकायतकर्ता श्री अमित परमार जी भी मौके पर उपस्थित। मौके पर शिकायतकर्ता द्वारा जो हरे भरे वृक्ष काटे गये हैं उसका अवलोकन कराया गया। व सरस्वती नदी पर नाले का चेनलाइजेशन व कुछ जगह नदी की चौड़ाई पर भी आपत्ति लेते हुये अवलोकन कराया गया। उभयपक्षों के समक्ष यह पंचनामा लिखा जो सही व वक्त जरूरत काम आवे।

अमित परमार
S/o नारायण जी परमार
9425055532

(डॉ. दिलीप वाघेला)
MPPCB, Indore
12/9/19
98272-33136

SN Patil
MPPCB
Indore

Nadeem Khan
Zonal officer 13
IMC
7440443358

(K.P. Soni)
E.E., MPPCB, Indore.
94251-35095

Rakesh Pagare
RI

Shashank K. Jain
9425319681

Ravi Wanikhede

[illegible]
9424083566

पटवारी

Annexure-3

कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, म.प्र.

क्र./INDLP-827/14/नग्रानि/2015 2603 इन्दौर, दिनांक 5.5.2015

प्रति,

श्री सृष्टी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अनुराग पिता श्री राधेश्याम माहेश्वरी
पता– 379/4, बिजलपुर, ए. बी. रोड, फलबाग के सामने, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– ग्राम बिजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 806, 807/1, 807/2, 808/1मिन–2, 808/2, 812, 814, 815, 818/2, 817/1 पैकि, 817/2 पैकि, 818/1, 819, 820, 821, 822 पैकि, 823 पैकि, 824 पैकि, 825, 827, 826 कुल रकबा 3.348 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 19/11/2014.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक श्री सृष्टी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अनुराग पिता श्री राधेश्याम माहेश्वरी, पता– 379/4, बिजलपुर, ए. बी. रोड, फलबाग के सामने, इन्दौर (म.प्र.) ने ग्राम बिजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 806, 807/1, 807/2, 808/1मिन–2, 808/2, 812, 814, 815, 818/2, 817/1 पैकि, 817/2 पैकि, 818/1, 819, 820, 821, 822 पैकि, 823 पैकि, 824 पैकि, 825, 827, 826 कुल रकबा 3.348 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद् निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए है :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क रूपये 20,000.0 चालान क्र. 51 दिनांक 18.11.2014 एवं अनुज्ञा शुल्क चालान क्र. 25 दिनांक 26.03.2015 राशि 2,51,100.0 जमा। इस प्रकार कुल राशि रूपये 2,71,100.0 जमा।
3. खसरा बी–1, पी–2 वर्ष 2014–2015.
4. विक्रय पत्र एवं ऋण पुस्तिका।
5. सीमांकन रिपोर्ट।
6. शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति पत्र।
7. रूपांकन मानचित्र।

भू–स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मानचित्रकार द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि को दक्षिण दिशा में स्थित 18.0 मीटर चौडे मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि को विकास योजना 2021 में भूमि उपयोग आवास एवं मार्ग निर्दिष्ट है।

मुख्य नगर नियोजक, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर का पत्र क्र. 147 दिनांक 07/01/2015 कार्यालय में आवक क्र. 9 दिनांक 09/01/2015 द्वारा प्राप्त। मुख्य नगर नियोजक महोदय ने कार्यालयीन पत्र क्र. 17914 दिनांक 05/12/2014 के संदर्भ में अभिमत दिया है कि, प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग राऊ, जिला इन्दौर ने उनके पत्र क्र. 399/री.राऊ/2014, इन्दौर दिनांक 29/01/2015 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अपर तहसीलदार, राऊ से प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिमत दिया है कि, प्रश्नाधीन भूमि में कोई शासकीय या अन्य भूमि समाविष्ट नहीं है।

उपरोक्त दस्तावेजों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों, क्षतिपूर्ति पत्र एवं स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर ग्राम बिजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 806, 807/1, 807/2, 808/1मिन–2, 808/2, 812, 814, 815, 818/2, 817/1 पैकि, 817/2 पैकि, 818/1, 819, 820, 821, 822 पैकि, 823 पैकि, 824 पैकि, 825, 827, 826 कुल रकबा 3.348 हेक्टेयर भूमि पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(3)(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों अनुसार आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन निम्न शर्तो के अध्यधीन रहते हुए किया जाता है:–

अविरत...2

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

अ. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959
ब. म.प्र. नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998
स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

2. संलग्न मानचित्र को भू–स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावें।

3. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए संशोधित विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिन्यास में कुल 164 सामान्य आवासीय भूखण्डों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण मानचित्र पर दर्शाया गया है। आवेदक ने उक्त नियम में दिनांक 19/04/2012 को हुए संशोधन अनुसार कमजोर आय वर्ग हेतु 15 आवासीय भूखण्ड तथा निम्न आय वर्ग हेतु 10 आवासीय इकाईयाँ निर्मित करने का विकल्प चयन किया है। कॉलोनाईजर के विकल्प को मान्य करने का अधिकार म.प्र. नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को है। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। इस हेतु आवेदक से नियमों में प्रावधानित आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवाकर आवेदक का प्रस्ताव मान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकल्प मान्य किये जाने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावें। यदि सक्षम प्राधिकारी विकल्प से सहमत न हो तो तदानुसार सूचित करने पर कार्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन मान्य किये जा कर सूचित किया जावेगा।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. नगर पालिक निगम (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अन्तर्गत कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावें।

5. प्रश्नाधीन भूमि की दक्षिण दिशा में प्रस्तावित मार्ग की चौडाई 18.0 मीटर संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मीटर भूमि मार्ग हेतु खुली रखी जाना आवश्यक होगा। इस भूमि पर किसी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा।

6. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक–एक वर्ष) के लिये बढाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल–मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख–रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

8. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।

अविरत.....3

9. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिमी भाग में नाला होने से भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। अतः सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर नाले से आवागमन हेतु पुलिया का निर्माण करना आवश्यक होगा।

10. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

11. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।

12. इस अनुमति के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।

13. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूचि की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल, दिनांक 14, अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुडे किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

14. भूमि पर विकसित होने वाले भूखण्डों/भवन के विक्रय के सम्बंधी इश्तहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्शन, नजूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बन्धी आदेशो के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

15. आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी।

16. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।

17. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपणं सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।

18. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।

अविरत.....4

19. इन अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिक निगम (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998 के अन्तर्गत अनुमतियॉ प्राप्त नहीं कर लेता।

20. मार्ग एवं खुले स्थानों हेतु छोडी गई भूमि भू–राजस्व संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अधिकारों का त्यजन राज्य सरकार के पक्ष में करने के पश्चात् ही तथा म.प्र. नगर पालिक निगम (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने पर ही भूखण्ड विक्रय करने की अनुमति होगी।

21. यह अभिन्यास म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चर्तुःसीमा में परिवर्तन होता है तो सीमांकित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से अनुमोदित कराना होगा।

22. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या इस अनुज्ञा शर्तो के उलंघन की दशा में यह अनुज्ञा स्वतः प्रभावशून्य होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहृत (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्न– अनुमोदित अभिन्यास।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर, दिनांक

पृ.क्र./INDLP-827/14/नग्रानि/2015

प्रतिलिपिः–

1. सक्षम प्राधिकरण एवं आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. तहसीलदार, तहसील, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. वेबसाईट कॉपी।

संलग्न– अनुमोदित अभिन्यास।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर (म.प्र.)

Annexure-4

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक : 2280 / का.सेल. / 16 दिनांक : 28 JAN 2016

प्रति,
श्री सृष्टी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर
श्री अनुराग पिता श्री राधेश्याम माहेश्वरी,
पता – 379 / 4, बिजलपुर, ए.बी.रोड़, फलबाग के सामने, इन्दौर

विषय :– ग्राम बिजलपुर, तहसील व जिला इंदौर की भूमि खसरा क्रमांक 806, 807 / 1, 807 / 2, 808 / 1मिन–2, 808 / 2, 812, 814, 815, 818 / 2, 817 / 1 पैकि, 817 / 2 पैकि, 818 / 1, 819, 820, 821, 822 पैकि, 823 पैकि, 824 पैकि, 825, 827, 826 कुल रकबा 3.348 हेक्टेयर पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग की अनुमति बाबद्।

संदर्भ :– आपका आवेदन आवक क्र. 1062 दिनांक 11 / 09 / 2015 के क्रम में।

आवेदक / कंपनी को निम्नलिखित शासकीय विभागों से अनापत्ति / अनुमतियां प्राप्त है।

1. कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा म.प्र. नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंर्धन तथा शर्ते नियम 1998 के प्रावधान अनुसार कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक 836 / का.से. / 2015 / इन्दौर दिनांक 23 / 09 / 2015 जारी किया गया है।

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर द्वारा आवासीय अभिन्यास का अनुमोदन पत्र कमांक INDLP-827/14 / नग्रानि / 2015 / 2603 इन्दौर दिनांक 04 / 04 / 2015 से आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु किया गया है ।

3. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जिला इंदौर द्वारा द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत प्रकरण क्र. 65 / अ–2 / 2014–15 दिनांक 17 / 08 / 2015 से भूमि का व्यपवर्तन किया गया है।

4. मुख्य नगर नियोजक, इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर द्वारा पत्र कमांक 147 / रूपां / ग्राम बिजलपुर दिनांक 07 / 01 / 2015 से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर को अभिमत दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है सबंधी लेख किया गया है।

5. अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग राऊ, जिला इंदौर द्वारा पत्र कमांक 399 / री.राउ / 2014, इन्दौर दिनांक 29 / 01 / 2015 से यह अभिमत दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय या अन्य भूमि समाविष्ट नहीं है।

6. अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा कार्यालय, जिला इन्दौर द्वारा पत्र कमांक 3780 / श.सी. / रीडर / 2015 इंदौर दिनांक 29 / 10 / 2015 से यह जानकारी दी गई है कि प्रश्नाधीन भूमि कार्यालय में उपलब्ध कब्जा प्राप्त भूमि की सूची में अंकित नहीं है।

7. तहसीलदार, राऊ, जिला इंदौर द्वारा पत्र कमांक 1967 / री–4 / 15 इन्दौर दिनांक 29 / 10 / 2015 से भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी दी गई है तदानुसार भूमि आवेदक कंपनी के नाम पर दर्ज है।

आवेदक / कंपनी द्वारा निम्नलिखित शुल्क जमा किये गये है।

1. आवेदन शुल्क, आवेदन फार्म एवं प्रोसेस शुल्क चालान क्रमांक 199 दिनांक 28/08/2015 के माध्यम से राशि रूपये 40,480/– (अक्षरी रूपये चालीस हजार चार सौ अस्सी) कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा 580, एम.जी.रोड़, इन्दौर में जमा।
2. सुपरविजन चार्जेस चालान क्रमांक 267 दिनाक 28/11/2015 के माध्यम से राशि रूपये 5,82,000/– (अक्षरी रूपये पांच लाख बयासी हजार) कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा 580, एम.जी.रोड़, इन्दौर में जमा।
3. बाह्य विकास शुल्क चालान क्रमांक 267 दिनाक 28/11/2015 के माध्यम से राशि रूपये 3,34,800/– (अक्षरी रूपये तीन लाख चौंतीस हजार आठ सौ) कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा 580, एम.जी.रोड़, इन्दौर में जमा।
4. कर्मकार कल्याण उपकर की राशि रूपये 2,66,000/– (अक्षरी रूपये दो लाख छाछठ हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक 530965 दिनांक 09/12/2015 एचडीएफसी बैंक का सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल इन्दौर के नाम से जमा।
5. ओव्हरहेड टैंक का निर्माण आवेदक को स्वंय के व्यय से करना होगा एवं ओव्हरहेड टैंक की ड्राईंग–डिजाईन तकनीकी संस्था से अनुमोदन कराना होगी।
6. नर्मदा केपीटल रिनिवल शुल्क चालान क्रमांक 268 दिनाक 28/11/2015 के माध्यम से राशि रूपये 20,74,313/– (अक्षरी रूपये बीस लाख चोहत्तर हजार तीन सौ तेरह) कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा 580, एम.जी.रोड़, इन्दौर में जमा।
7. मध्यप्रदेश नगर पालिक कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते नियम 1998 संशोधन विधेयक 19 अप्रैल 2012 के नियम 10 अनुसार आश्रय शुल्क की राशि रूपये रूपये 23,43,900/– (अक्षरी रूपये तेबीस लाख तिरयालीस हजार नौ सौ) चालान क्रमांक 269 दिनांक 28/11/2015 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा एम.जी. रोड़, इन्दौर के निगम खाता क्रमांक 6711196179 में जमा।
8. संपत्ति कर वर्ष जमा 2015–16 जमा संबंधी रसीद कमांक 70 दिनांक 12/02/2015, रसीद कमांक 32 दिनांक 30/06/2015 एवं रसीद कमांक 49 दिनांक 12/01/2016 की प्रति प्रस्तुत की है ।

उपरोक्त राशि जमा की गई होने से एवं संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त होने से एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अभिन्यास अनुमोदित होने से ग्राम बिजलपुर, तहसील व जिला इंदौर की भूमि खसरा क्रमांक 806, 807/1, 807/2, 808/1मिन–2, 808/2, 812, 814, 815, 818/2, 817/1 पैकि, 817/2 पैकि, 818/1, 819, 820, 821, 822 पैकि, 823 पैकि, 824 पैकि, 825, 827, 826 कुल रकबा 3.348 हेक्टेयर पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु (मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के अधीन तथा सिंगल डोर प्रणाली बैठक दिनांक 02/11/2015 को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्न शर्तो के अधीन विकास अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. निगम के पक्ष में धरोहर के रूप में रखे गये भुखण्ड वाले स्थान पर सूचना बोर्ड लगाना होगा तथा उस पर भुखण्ड नगर निगम में धरोहर है, तथा उनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, यह उल्लेख करना आवश्यक है।

2. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त व्यपवर्तन आदेश की समस्त शर्तो का पालन करना होगा ।

3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा ।

4. भूखण्डों का विक्रय पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर करना होगा।

5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. INDLP-827/14/नग्रानि/2015/2603 इन्दौर दिनांक 04/04/2015 के अनुसार आवेदक को चयनित विकल्प अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 15 यूनिट एवं निम्न आय वर्ग हेतु 10 यूनिट आरक्षित रखना होगे एवं जिनका आवंटन नियमों के प्रावधान अनुसार करना होगा। तदउपरांत ही धरोहर भूखण्ड मुक्त किये जा सकेगे।

6. आवेदक के भू–स्वामित्व के संबंध में यदि कोई वाद माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग में प्रचलित वाद पर यदि कोई निर्णय आवेदक के विरूद्ध पारित होता है तो ऐसी स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं पारित निर्णय का पालन आवेदक को करना होगा।

7. भविष्य की योजना हेतु प्रश्नाधिन क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण/विकास मान्य नहीं होगा इस हेतु पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक द्वारा विकास के पूर्व इन्दौर विकास प्राधिकारी की विद्यमान अथवा प्रस्तावित योजना के प्रस्तावों एवं आस–पास के विद्यमान विकास से समन्वय आवश्यक होगा।

9. शुल्को की गणना के अंतर की स्थिति में नियमानुसार अंतर की राशि जमा कराने का दायित्व आवेदक का होगा।

10. आवेदक द्वारा कालोनी के विकास के कुल भुखण्डीय क्षेत्रफल के पेटे विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में **लाल रंग से अंकित सदर स्थल के भूखण्ड कमांक बी–7 से बी–26 कुल 20 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 1859 वर्गमीटर है** विकास कार्य पूर्ण होने तक ई–पंजीयन क्रमांक MP179092016A1009668 दिनांक 06/01/2016 से धरोहर के रूप में रखे गये है। कालोनाईजर द्वारा उपरोक्त धरोहर रखे गये भूखण्डों का न तो इनका विक्रय किया जावेगा और ना ही उनकी रजिस्ट्री की जावेगी। निगम के मतानुसार विकास कार्य अपूर्ण रहने पर उक्त भुखण्ड राजसात किये जाने का अधिकार निगम को होगा। समाज के कमजोर आय वर्ग व निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित युनिटों के निर्माण व आवंटन पश्चात् ही धरोहर रखे गये भूखण्ड मुक्त किये जा सकेगे।

11. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्रमांक INDLP-827/14/नग्रानि/2015/2603 इन्दौर दिनांक 04/04/2015 में दर्शित अनुसार सडकों की चौडाई रखना होगी, एवं उद्यान हेतु आरक्षित भूमि 3411 वर्गमीटर पर उद्यान की कम्पाउण्ड वॉल/जाली लगाकर उद्यान का विकास कार्य पूर्ण करना होगा।

12. रोड सेट बैक हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने पाये यह सुनिश्चित करना होगा।

13. उपरोक्त कालोनी में विद्युत पोल पर लाईट फिटिंग लगानी होगी, लाईट फिटिंग नहीं लगाने की दशा में 3,000/– रू. प्रति पोल के मान से कार्पोरेशन बैंक की राशि रूपये 75,000/– की एफडीआर कमांक KCC/01/151207 दिनांक 17/12/2015 प्रस्तुत की है, जो विद्युत पोलो पर फिटिंग लगाने के उपरांत एवं विद्युत विभाग, नगर पालिक निगम इन्दौर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही मुक्त होगी।

14. उपरोक्त कालोनी में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। सार्वजनिक उद्यान में जहां वर्षा के समय पानी इकट्ठा होना है, वहां वॉटर रिचार्जिंग का पिट बनवाना होगा।

15. कालोनी के पास स्थित नर्मदा की मुख्य लाईन से कनेक्शन लेने हेतु कालोनाइजर को नियमानुसार पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी, एवं स्वंय के व्यय से उक्त लाईन को जोडना होगा।

16. पर्यावरण विभाग/प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र आवेदक को पृथक से प्राप्त करना होगा।

17. प्रस्ताव अनुसार सेप्टिक टैंक (एस.टी.पी.)/कचरा घर/ऐमीनिटीस/ट्रांसफार्मर इत्यादि का नियमानुसार निर्माण करना होगा।

18. प्रश्नाधिन भूमि के संबंध में कोई वाद अथवा शिकायत किसी शासकीय विभाग में लंबित होने पर समस्त जवाबदारी आवेदकगण की होगी।

19. अभिन्यास में सदर स्थल के पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों का विस्तृत प्रारुप प्रस्तुत करना होगा एवं पहुंच मार्गो का निर्माण करना होगा।

20. कॉलोनी के रूढिगत पानी की निकासी की व्यवस्था आवेदक को करना होगी।

21. सदर स्थल पर आने–जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण न हो व उक्त रास्ते बंद न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।

22. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में रिकार्ड अनुसार शासकीय, नजूल, अतिशेष घोषित भूमि व प्रचलित रास्ते व पानी निकासी के स्त्रोत पर अतिकमण न हो यह सुनिश्चित करना होगा।

23. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में अंकित समस्त शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा।

24. भूमि के संबंध में एवं अद्योसंरचना के संबंध में कोई वाद आदि उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।

25. प्रकरण में प्रावधान अनुसार अन्य शुल्को के अतिरिक्त बाह्य विकास शुल्क के रूप में रूपये 9,99,000/– जमा कराये गये है। लेकिन ड्रेनेज संयोजन के समय झोन की ड्रेनेज व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार मानक के आधार पर प्रावधान अनुसार ड्रेनेज संयोजन के आवश्यक शुल्क जमा कराते हुये संयोजन की पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।

26. भूमि विकास नियम 1984 एवं संशोधन नियम 2012 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा।

27. प्रावधानों के तहत सदर स्थल पर वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव सुनिश्चित हो ।

28. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल, इन्दौर विकास प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, तहसीलदार तहसील इन्दौर, एवं अन्य समस्त शासकीय विभागों द्वारा दी गयी समस्त शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा किसी भी विभाग की आपत्ति आने पर जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

14. उपरोक्त कालोनी में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। सार्वजनिक उद्यान में जहां वर्षा के समय पानी इकट्ठा होना है, वहां वॉटर रिचार्जिंग का पिट बनवाना होगा।

15. कालोनी के पास स्थित नर्मदा की मुख्य लाईन से कनेक्शन लेने हेतु कालोनाइजर को नियमानुसार पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी, एवं स्वंय के व्यय से उक्त लाईन को जोडना होगा।

16. पर्यावरण विभाग/प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र आवेदक को पृथक से प्राप्त करना होगा।

17. प्रस्ताव अनुसार सेप्टिक टैंक (एस.टी.पी.)/कचरा घर/ऐमीनिटीस/ट्रांसफार्मर इत्यादि का नियमानुसार निर्माण करना होगा।

18. प्रश्नाधिन भूमि के संबंध में कोई वाद अथवा शिकायत किसी शासकीय विभाग में लंबित होने पर समस्त जवाबदारी आवेदकगण की होगी।

19. अभिन्यास में सदर स्थल के पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत करना होगा एवं पहुंच मार्गो का निर्माण करना होगा।

20. कॉलोनी के रूढिगत पानी की निकासी की व्यवस्था आवेदक को करना होगी।

21. सदर स्थल पर आने–जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण न हो व उक्त रास्ते बंद न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।

22. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में रिकार्ड अनुसार शासकीय, नजूल, अतिशेष घोषित भूमि व प्रचलित रास्ते व पानी निकासी के स्त्रोत पर अतिकमण न हो यह सुनिश्चित करना होगा।

23. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में अंकित समस्त शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा।

24. भूमि के संबंध में एवं अद्योसंरचना के संबंध में कोई वाद आदि उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।

25. प्रकरण में प्रावधान अनुसार अन्य शुल्को के अतिरिक्त बाह्य विकास शुल्क के रूप में रूपये 9,99,000/– जमा कराये गये है। लेकिन ड्रेनेज संयोजन के समय झोन की ड्रेनेज व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार मानक के आधार पर प्रावधान अनुसार ड्रेनेज संयोजन के आवश्यक शुल्क जमा कराते हुये संयोजन की पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।

26. भूमि विकास नियम 1984 एवं संशोधन नियम 2012 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा।

27. प्रावधानों के तहत सदर स्थल पर वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव सुनिश्चित हो ।

28. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल, इन्दौर विकास प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, तहसीलदार तहसील इन्दौर, एवं अन्य समस्त शासकीय विभागों द्वारा दी गयी समस्त शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा किसी भी विभाग की आपत्ति आने पर जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

29. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. 827/14/नग्रानि/2015/2603 इन्दौर दिनांक 04/04/2015 में दर्शित नाले के आसपास 9–9 मीटर तक भुमि अभिन्यास अनुसार खुली रखना होगी ।

30. उक्त स्वीकृति प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर जारी की जा रही है जो किसी प्रकार के स्वामित्व सिद्ध करने हेतु सहायक नहीं होगा और न ही किसी कानूनी कार्यवाही हेतु सहायक होगा। नगर निगम इन्दौर अन्य कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

31. स्थल पर किये जाने वाले विकास कार्यो हेतु नगर शिल्पज्ञ (जनकार्य) नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा अनुमोदित इस्टीमेट्स की प्रति संलग्न में दी जा रही है उपरोक्त इस्टीमेंट के अनुसार ही स्थल पर विकास कार्य हो यह सुनिश्चित करे। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में पृथक से सूचित कर उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

32. कालोनी की विकास अनुमति जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा परन्तु यदि कालोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियॉं पाई जाती है तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिये उक्त समय सीमा में अधिकतम एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी।

33. प्रकरण में किसी अन्य विभाग की स्वीकृति आवश्यक होने पर पृथक से आवेदक/कंपनी को प्राप्त करना होगी।

आपके द्वारा दी गई जानकारी एवं मालकी दस्तावेजों में छुपाये गये तथ्यों के उजागर होने पर एवं भूमि स्वामित्व/सीमा संबंधी किसी प्रकार के विवाद या किसी विभाग की आपत्ति आने पर तथा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में दी गई विकास की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(नस्ती पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी,
कालोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक ----------

क्रमांक : ------/का.सेल./16
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एंव सेवाकर, इन्दौर की और सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर की और सूचनार्थ।
3. सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा भूमि सीमा कार्यालय, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
4. नजूल अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित। ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
6. अपर आयुक्त, कालोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य नगर नियोजक, भवन अनुज्ञा, नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप पंजीयक, कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
9. उपायुक्त, राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
10. भवन अधिकारी, झोन क्र. 13, नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ एवं ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/ऐमिनिटीस की निर्माण अनुमति के संबंध में स्वीकृति संबंधी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी,
कालोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Annexure-5

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग राऊ, इन्दौर जिला इंदौर म.प्र.

क्रमांक/ 480 /री.राऊ/2019 इन्दौर दिनांक 18.09.2019

प्रति,

आर. के. गुप्ता,
क्षेत्रिय अधिकारी,
क्षेत्रिय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
योजना क्र. 7878–सी, प्लाट नं. 1, पार्ट–2 अरण्य
विजयनगर इन्दौर

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्र. 641/2019 (श्री अनिल विरूद्ध म.प्र.शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के पालनार्थ।

सन्दर्भः–क्षेत्रिय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्र क्रमांक/2736/त0शाखा/19 इन्दौर दिनांक 12.09.2019।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के पालन में तहसीलदार राऊ तहसील इन्दौर से नियमानुसार जॉच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार राऊ के प्रतिवेदन संलग्न राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट मय पंचनामा के इस पत्र के संलग्न आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व राऊ, इन्दौर

अनुविभागीय अधिकारी
राऊ क्षेत्र, इन्दौर

OIC Stuff (?) 18/9/19

म. प्र. प्रदूषण
आवक क्र. 3280
दिनांक 18/09/19
इन्दौर

कार्यालय तहसीलदार तहसील राऊ जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 1383 / री / 2019 इन्दौर दिनांक :- 17-9..2019

प्रति

अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय
अनुभाग राउ जिला इन्दौर

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमाक 641/2019 (श्री अनिल विरूद्व म.प्र.शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के पालनार्थ।

संदर्भः- क्षैत्रीय अधिकारी इन्दोर म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2736/त. शाखा/2019 इन्दौर 12.09.2019 के संबध में।

-----0❀0-----

उपरोक्त विषय एंव सन्दर्भ में निवेदन है, कि सन्दर्भित पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमाक 641/2019 (श्री अनिल विरूद्व म.प्र.शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के पालनार्थ में जानकारी चाही गई है।

उक्त के संबध में राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा निम्नबिन्दु अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है:-

01. मेसर्स श्री सृष्टि कन्सट्रक्शन प्रा.लि.द्वारा मौके पर ग्राम बिजलपुर स्थित खसरा नम्बर 399, 404 पर पुलिया का निर्माण किया गया है।
राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 399 रकबा 0.725 हे. मद नाला व खसरा नबंर 404 रकबा 0.332 हे. मद नाला में दर्ज है।
इन भूमियो पर पुलिया निर्माण की अनुमति श्रीमान कलेक्टर महोदय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमाक 26/अ-74/2009-10 दिनांक 30.3.2010 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

02. मेसर्स सृष्टि कन्सट्रक्शन कालोनाइजर द्वारा समीपस्थ नाले के चैनलाईजेशन हेतु किये जा रहे कार्य की अनुमति तथा ओवरफलो हेतु पूर्व से बनाया गया स्ट्रक्चर के अनुमति के संबध में कोई भी जानकारी इस कार्यालय में नही है।

03. स्थल निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर निर्माण ग्राम बिजलपुर की खसरा नमबर 403, 405, 514, 815, व 816 रकबा 0.283, 0.187, 0.372 व 0.409 हे. के अंश भाग पर दीवार बनाई गई है। जो कि मेसर्स सृष्टि कन्सट्रक्शन के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है।

C:\Users\cer\Desktop\Letta (Jansunwai).docx

04. ग्राम बिजलपुर तहसील राऊ जिला इन्दोर के कृषको द्वारा शासकीय भूमि खसरा नबंर 402 रकबा 0.413 हे. शासकीय खसरा नम्बर 441 रकबा 0.271 हे. मद चरनोई व खसरा नम्बर 832 रकबा 0.097 हे. मद चरनोई का.का. की नोईयत परिवर्तन कर रास्ता मद में दर्ज किया जाने तथा इन भूमियो पर मार्ग बनाने की अनुमति का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दोर के प्रकरण कंमाक 05/अ-74/2018-19 आदेश दिनांक 18.12.2018 द्वारा उक्त भूमि की नोईयत रास्ता मद में परिवर्तित कर सशर्त मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। मौके पर जो रोड निर्माण हुआ है। उन खसरा नम्बरो (402, 441, 832) के राजस्व अभिलेखो का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन भूमियो पर कोई भी वृक्ष मौजूद होना सम्बन्धी जानकारी अंकित नही है।

प्रतिवेदन मय राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी रिपोर्ट के श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
तहसील राऊ जिला इन्दौर
तहसील व जिला-इन्दौर

C:\Users\cer\Desktop\Letta (Jansunwai).docx

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील राऊ जिला इन्दौर

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 641/2019 (श्री अनिल विरूद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20/08/2019 को जारी आदेश के तरतम्य में।

संदर्भः आपका आदेश।

श्रीमानजी,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 641/2019 के सम्बन्ध्पा में कलेक्टर महोदय द्वारा संयुक्त निरीक्षण दल से निरीक्षण कर वस्तुस्थिती की जानकारी चाही गई है। उक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

(1) मेसर्स श्री सृष्टि कन्सट्रक्शन प्रा.लि. द्वारा मौके पर ग्राम बिजलपुर स्थित खसरा नंबर 399, 404 पर पुलिया का निर्माण किया गया है।

राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नंबर 399 रकबा 0.725 हे0 मद नाला व खसरा नंबर 404 रकबा 0.332 हे0 मद नाला में दर्ज है।

इन भूमियों पर पुलिया निर्माण की अनुमति श्रीमान कलेक्टर महोदय इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/31–74/2009–10 दिनांक 30/03/2010 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

(2) मेसर्स सृष्टि कन्सट्रक्शन कालोनाइजर द्वारा समीपस्थ नाले के चैनलाईजेशन हेतु किये जा रहे कार्य की अनुमति तथा ओवरफलो हेतु पूर्व से बनाया गया स्ट्रक्चर के अनुमति के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी इस कार्यालय में नही है।

(3) स्थल निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर निर्माण ग्राम बिजलपुर की खसरा नंबर 403, 405, 514, 815 व 816 रकबा 0.283, 0.187, 0.372 प 0.409 हे0 के अंश

अविरत पेज 2 पर

भाग पर दीवार बनाई गयी है। जो कि मेसर्स सृष्टि कन्सट्रक्शन के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है।.

(4) ग्राम बिजलपुर तहसील राउ जिला इंदौर के कृषको द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 402 रकबा 0.413 हे0 शासकीय, खसरा नंबर 441 रकबा 0.271 हे0 मद चरनोई व खसरा नंबर 832 रकबा 0.097 हे0 मद चरनोई का. का. की नोईयत परिवर्तन कर रास्ता मद में दर्ज किया जाने तथा इन भूमियों पर मार्ग बनाने की अनुमति का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 05/अ–74/2018–19 आदेश दिनांक 18/12/2018 द्वारा उक्त भूमि की नोईयत रास्ता मद में परिवर्तित कर सशर्त मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

(5) मौके पर जो रोड निर्माण हुआ है उन खसरा नंबरो (402, 441, 832) के राजस्व अभिलेखो का अवलोकन करने परर पाया गया कि इन भूमियों पर कोई भी वृक्ष मौजूद होना सम्बन्धी जानकारी अंकित नही है।

अतः प्रतिवेदन अवलोकनार्थ व उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

हल्का पटवारी	हल्का पटवारी	रा.निरीक्षक RI

संलग्न–

1. प्र.क्र. 26/अ–74/2009–10 आदेश दिनांक 30/03/2010 की छायाप्रति।
2. प्र.क्र. 5/अ–74/2018–19 आदेश दिनांक 18/12/2018 की छायाप्रति।
3. खसरो की नकल की प्रति।

Annexure-2

दिनांक १२।१२।१९

पंचनामा

हम उपस्थित पंचगण यह पंचनामा तहरीर कर देते हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक ६६१/२०१९ (श्री अनिल विरुद्ध म.प्र. शासन) मे माननीय अधिकरण द्वारा कुछो के काटने एवम् कालोनी आवासीय ग्राम बिसनखेडी द्वारा सरस्वती नदी मे अतिक्रमण करने के शिकायत के तारतम्य मे क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक २६३५ ते. शाखा/१९ इन्दौर दिनांक ५।१२।१९ द्वारा दल गठित कर जांच हेतु कर विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया। उक्त जांच के तारतम्य मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी नगर निगम इन्दौर के जोनल अधिकारी एवम् क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला इन्दौर के अधिकारी द्वारा दिनांक १२।१२।१९ को शिकायतकर्ता व सम्बन्धित शिकायत के कालोनी के प्रतिनिधियों को भी समय व दिनांक अवगत कराते हुये गठित दल मौके पर उपस्थित हुआ। कालोनी की ओर से श्री शशांक जैन व कुलदीप माहेश्वरी व शिकायतकर्ता श्री अनिल परमार जी भी मौके पर उपस्थित। मौके पर शिकायतकर्ता द्वारा जो हरे भरे वृक्ष काटे गये है उसका अवलोकन कराया गया। व सरस्वती नदी पर नाले का चेनलाइजेशन व कुछ नगर नदी की चौड़ाई पर भी आपत्ति लेते हुवे अवलोकन कराया गया। उभयपक्षो के समक्ष यो पंचनामा लिखा दिया सो सही वक्त जरुरत काम आवे।

SN Patil
MPPCB
Indore

अनिल परमार
s/o नारायण जी परमार
9425055532

१२।१२।१९
(डॉ. दिलीप वागेला)
MPPCB, Indore
9827233136

Nadeem Khan
Zonal officer 13
IMC
7440443358

(K.P. Soni)
E.E., MPPCB, Indore
9425135095

Rakesh Pagare
RI

Shashank K Jain
9425319681

Ravi Wankhede

A.E. Z. 12
IMC
9424083566

पटवारी

Scanned by CamScanner

Annex - 01

न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र.

प्रकरण कमांक 26 / अ–74 / 2009–10

आदेश

(आज दिनांक 30–03–2010)

मेसर्स श्री सृष्टि कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. 31 काछीमोहल्ला इंदौर द्वारा ग्राम बिजलपुर तहसील इंदौर ग्राम बिजलपुर स्थित भूमि क्षेत्रफल 9.123 पर आवासीय कालोनी विकसित की गई है । आवेदक संस्था के द्वारा विकसित आवासीय कालोनी के मध्य एक शासकीय नाला स्थित होने से आवेदक संस्था की भूमि दो भागों में विभक्त हो चुकी है । संस्था उक्त नाले पर दो पुलिया निर्माण चाहा है जिसमें एक 6.7 मीटर लम्बी व 18 मीटर चौड़ी तथा दूसरी 20.7 मीटर लम्बी व 9 मीटर चौड़ी पुलिया का निर्माण स्वयं के व्यय पर कराना चाहती है ।

2 आवेदन पर विस्तृत जॉच व प्रतिवेदन हेतु प्रकरण तहसीलदार इंदौर को भेजा गया ।

3 प्रश्नाधीन भूमि का मौका जॉच कर तहसीलदार इंदौर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रार्थी संस्था की भूमि तथा शासकीय नाला भूमि का मौका निरीक्षण किया गया । आवेदक संस्था की भूमि सर्वे नम्बर 390 के पास स्थित शासकीय नजूल की भूमि सर्वे नम्बर 399 में एक पुलिया 6.7 मीटर लम्बी तथा 18 मीटर चौड़ी व संस्था की अन्य भूमि सर्वे नम्बर 830 व 831 के समीप शासकीय कांकड चरनोई की भूमि सर्वे नम्बर 402 व शासकीय नाला नजूल भूमि सर्वे नम्बर 404 पर एक पुलिया 20.7 मीटर लम्बी व 9.00 मीटर चौड़ी पुलिया निर्माण स्वयं के व्यय पर करना चाहा गया है । विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया कोई आपत्ति नियत दिनांक तक अप्राप्त है । संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, इंदौर विकास प्राधिकरण ; लोक निर्माण विभाग तथा म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल इन्दौर का अभिमत प्राप्त किया गया । संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अपने पत्र कमांक 4711 / नग्रानि / एसईएस / 2009 इंदौर 28.8.2009 द्वारा बिजलपुर की भूम सर्वे नं 399,402,404 पर अनुमोदित अभिन्यास में स्थित मार्गो का को–ऑर्डिनेशन करने हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी तथा अपर कलेक्टर द्वारा आयडीए / नगर पालिक निगम को कार्य एजेन्सी के रूप में नियुक्त कर पुलिया का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

5 तहसीलदार इंदौर के प्रस्ताव के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी इंदौर , नजूल अधिकारी तथा अपर कलेक्टर इंदौर द्वारा कोई टिप्पणी नहीं करते हुए उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु नस्ती प्रस्तुत की गयी है ।

6 प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टि ग्राम बिजलपुर की शासकीय चरनोई भूमि सर्वे नम्बर 399,404 तथा 402 पर जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश इंदौर द्वारा आवासीय अभियास के अनुमोदित क्षेत्र तथा

विकास योजना 2021 के निवेश क्षेत्र के अनुरूप दोनों भूमि में निर्धारित
को–ऑर्डिनेशन करने हेतु पुलिया निर्माण करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर प्रद
जाती है :–

1 उपर्युक्त वर्णित शासकीय भूमि पर बनाये जाने वाला मार्ग व पुलिया पूर्ण रूप
शासकीय होकर सार्वजनिक उपयोग का होगा ।

2 नाला भूमि से निकलने वाले पानी के बहाव में किसी प्रकार की रूकावट न हो
साथ ही आम जनता के सुखाचार में किसी प्रकार का हनन नहीं किया ज
सकेगा ।

2 निर्माण का लेआउट जी.एस.टी.आय. के ब्रिज विशेषज्ञों से तैयार कराया जाक
पुलिया के निर्माण हेतु निर्धारित मानक अनुसार किया जाना होगा । सम्पूर्ण विकास
कार्य इंदौर विकास प्राधिकारण/नगरनिगम/ब्रिज कार्पोरेशन के सुपरविजन
निर्धारित मानक अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।

3 सडक व पुलिया का निर्माण होने के उपरान्त सड़क व पुलिया शासक
निकाय/स्थानीय निकाय की सम्पत्ति होगा ।

4 विकास करने के उपरांत रख–रखाव प्रार्थी संस्था द्वारा स्थानीय निकाय क
हस्तांतरित हो जाने तक करना होगा ।

5 पुलिया/सडक निर्माण होने के पश्चात पूर्णरूप से भूमि व निर्माण शासकीय रहे
, उस पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था का स्वत्व नहीं रहेगा ।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही दो वर्ष की अवधि में पूर्ण की जाना आवश्यक होगा ।

कलेक्टर,
जिला इन्दौर

कलेक्टर
जिला इन्दौर (म० प्र०)

-237-

पृष्ठांकन कमांक / ५९) / करी / 2010 इंदौर, दिनांक 30/3/2010

प्रतिलिपि

1 आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर
2 संचालक, ब्रिज कार्पोरेशन
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकारण इंदौर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2 संचालक , नगर एवं ग्राम निवेश इंदौर
3 अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर
4. तहसीलदार इंदौर
5 सर्व संबंधित ---------------------------------
6 मेसर्स सृष्टि कन्ट्रक्शन प्रा.लि. 31, काछी मोहल्ला इंदौर की ओर आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला इंदौर
जिला-इन्दौर (म० प्र०)

क्रमांक / ५९१ / करी / 2010 दिनांक 30/3/010

1 मेसर्स श्री सृष्टि कन्स्ट्रक्शन
प्रा. लि.
31 काछी मोहल्ला

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /1344 /क.री./2018 इन्दौर दिनांक 18 दिसम्बर 2018

प्रकरण क्रमांक 05 /अ–74/2018–19

आदेश

ग्राम बिजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के कृषको द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम बिजलपुर में रहवासी कॉलोनियॉ विकसित होने से उन्हे उनकी कृषि भूमियों में आने जाने के रास्ते अवरूद्ध हो रहे है, उनके द्वारा पूर्व में भी शासकीय भूमि को रास्ता घोषित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है। आवेदकों द्वारा निवेदन किया कि हेतु सर्वे नम्बर 402, 441, 832 शासकीय भूमि दर्ज है, जिस पर अतिक्रमण कर लिये है, कृषक गण उक्त भूमि को रास्ते के रूप नोईयत परिवर्तन करने तथा रास्ता एवं पुलिया निर्माण हेतु अनुमति चाही है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, राऊ अनुभाग से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राऊ द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया कि ग्राम बिजलपुर की भूमि खसरा क्र0 402, 441 व 832 को शासकीय मार्ग दर्ज करने व स्पर्जन सहयोग से मार्ग निर्माण व पुलिया निमार्ण करने की अनुमति चाही गयी है भूमि खसरा क्र0 402 रकबा 0.413 हे0 म.प्र. शासन शासकीय भूमि दर्ज भूमि खसरा क्र0 441 रकबा 0.271 हे0, खसरा क्र0 832 रकबा 0.097 हे0 काबिलकास्त हारनोई भूमि है। भूमि खसरा क्र0 458 के आंशिक भाग पर मुरम का रास्ता बना हुआ है। भूमि खसरा क्र0 402 के पश्चिम भाग पर एक रास्ता बना हुआ है। भूमि खसरा क्र0 402 व 441 हल्की पालनुमा दर्शित होती है व उसके आंशिक भाग पर कच्चा रास्ता भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 402 के आंशिक भाग पर अतिक्रमण करके पक्का मकान व मंदिर बना हुआ है। इसी प्रकार भूमि खसरा क्रमांक 441 के आंशिक भाग कच्चा मकान बना हुआ है। इस भूमि पर कच्चा रास्ता प्रचलित है। रास्ता इस शर्त के साथ दिया जाना उचित है कि रास्ते का उपयोग समस्त ग्रामीण जनो द्वारा किया जावेगा। एवं बिना किसी सूचना के शासन हित में भूमि वापस ली जा सकेगी। है। नक्शे के अवलोकन से पाया जाता है कि भूमि खसरा क्र0 441 से भूमि खसरा क्र0 415, 437, 438, 440, 442, 447, 444 आदि लगी है। इन भूमियों के कृषकों को मुख्य मार्ग पर आने के लिये पृथक से कोई मार्ग उपलब्ध नही है। इसी प्रकार यदि भूमि खसरा क्र0 441 से भूमि खसरा क्र0 402 को जोड़ दिया जाता है तो कृषकगण भूमि खसरा क्र0 441 से होकर भूमि खसरा क्र0 832 व 402 होते हुए कॉलोनी के मार्ग से बाहर निकल सकते है। इस प्रकार ग्राम बिजलपुर के कृषकों के हित में भूमि खसरा क्र0 402, 441 व 832 को संहिता की धारा 237 के अंतर्गत रास्ता दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है।

तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, राऊ अनुभाग, इन्दौर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1)(ञ) के अंतर्गत पाठशालाओं/खेल के मैदानों/उद्यानों/सड़कों/गलियों/नालियों जैसे तथा उसी के प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिये दखलरहित भूमि को पृथक रखने के प्रावधान है। संहिता की धारा 237(3) कृषिक भूमि का न्यूनतम 2 प्रतिशत सुरक्षित रखते हुए। आबादी या कृषिक प्रयोजनों के लिये व्यपतित कर सकने का प्रावधान है। ग्राम बिलजपुर का चरनोई रकबा खाते के मान से 2 प्रतिशत से 0.832 हेक्टेयर अधिक उपलब्ध है। ट्रेस नक्शें के अवलोकन से भूमि खसरा क्र0 441 से भूमि खसरा क्र0 415, 437, 438, 440, 442, 447, 444 आदि लगी है। इन भूमियों के कृषकों को मुख्य मार्ग पर आने के लिये पृथक से कोई मार्ग उपलब्ध नही है। इसी प्रकार यदि भूमि खसरा क्र0 441 से भूमि खसरा क्र0 402 को जोड़ दिया जाता है तो कृषकगण भूमि खसरा क्र0 441 से होकर भूमि खसरा क्र0 832 व 402 होते हुए कॉलोनी के मार्ग से बाहर निकल सकते है। इस प्रकार ग्राम बिजलपुर के कृषकों के हित में शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 402, 441 व 832 को संहिता की धारा 237 के अंतर्गत नोईयत "रास्ता" मद में परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इन भूमियों पर बनने वाला मार्ग सार्वजनिक रहेगा। जिसका उपयोग आमजन द्वारा किया जा सकेगा। भूमि का स्वत्व शासकीय रहेगा।
2. चूंकि शासकीय भूमियों पर कृषकों के हित को देखते हुए मार्ग बनाने के अनुमति दी जा रही है। भविष्य में शासन को इन भूमियों की आवश्यकता होने पर शासन हित में बिना किसी सूचना के भूमि वापस लिया जा सकेगा।
3. आदेश की प्रति तहसीलदार राऊ अनुभाग की ओर राजस्व अभिलेखों में संशोधन हेतु भेजी जावे। तहसीलदार, उपरोक्तानुसार संशोधन कर खसरे की एक प्रति प्रकरण में संलग्न करावे तथा ग्रामवासियों को अवगत करावे।

(निशांत वरवड़े)
कलेक्टर,
जिला इन्दौर

पृ0क्र0/1349 क.री./2018 इन्दौर दिनांक 6 दिसम्बर 2018

प्रतिलिपि :

1. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राऊ अनुभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, जिला इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार, राऊ, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला इन्दौर

Annexure - 04

प्रतिवेदन

कार्यालय के आदेश क्रमांक/ /इन्दौर, दिनांक के पालन में ग्राम बिजलपुर के सर्वे क्रमांक 806 रकबा 0.045 हे. सर्वे क्रमांक 807/1 रकबा 0.138 हे. सर्वे क्रमांक 807/2 रकबा 0.283 हे. सर्वे क्रमांक 808/1 पै. रकबा 0.231 हे. सर्वे क्रमांक 808/2 रकबा 0.065 हे. सर्वे क्रमांक 812 रकबा 0.202 हे. सर्वे क्रमांक 814 रकबा 0.186 हे. सर्वे क्रमांक 815 रकबा 0.186 हे. सर्वे क्रमांक 818/1 रकबा 0.170 हे. सर्वे क्रमांक 818/2 रकबा 0.113 हे. सर्वे क्रमांक 819 रकबा 0.057 हे. सर्वे क्रमांक 820 रकबा 0.073 हे. सर्वे क्रमांक 821 रकबा 0.109 हे. सर्वे क्रमांक 822 पैकी रकबा 0.300 हे. सर्वे क्रमांक 823 पैकी रकबा 0.039 हे. सर्वे क्रमांक सर्वे क्रमांक 824 पैकी रकबा 0.057 हे. सर्वे क्रमांक 825 रकबा 0.283 हे. सर्वे क्रमांक 826 रकबा 0.255 हे. सर्वे क्रमांक 817/1 रकबा 0.059 हे. सर्वे क्रमांक 817/2 रकबा 0.024 सर्वे क्रमांक 827 रकबा 0.073 हे. भूमि के सीमांकन की कार्वाही ग्राम कोटवार के माध्यम से सरहदी भूमि स्वामियों को सूचना दिये जाने के पश्चात दिनांक--------------को संपादित किया गया ।

मौके पर उक्त सर्वे क्रमांको के सरहदी शासकिय सर्वे क्रमांको को नक्शे अनुसार सीमांकन कर पृथक से चिन्हांकित किया गया , पश्चात आवेदित भूमि के सर्वे क्रमांको की भूमि को चिन्हित किया गया । उपस्थित भूमि स्वामी श्री सृष्टि कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. के उपस्थित सहभागीदार शशांक जैन व दिनेश रघुवंशी उपस्थित रहे , मौके पर किये गये सीमांकन के अस्थाई निशानात कायम किये जाकर आवेदक को अवगत कराये गये ।

मौके पर किये गये कार्य की फिल्ड बूक पृथक से तैयार की गई , मौके पर किये गये कार्य का मौका पंचनामा पृथक से तैयार किया गया , जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

संलग्न-

1. फिल्ड बूक
2. पंचनामा
3. नक्शा ट्रेस

राजस्व निरीक्षक
तहसील व जिला इन्दौर

पंचनामा   ग्राम बिजलपुर

हम पंचगण ग्राम बिजलपुर के होकर यह प्रमाणित करते हैं कि [illegible] (नगर ग्रामीण) । इन्दौर (जिला) के पालन में [illegible] को ग्राम बिजलपुर की सर्वे क्रमांक 80[illegible] 0.445 हे, 807/1 - 0.138 हे, 807/2 0.283 हे, 808/1 पै. 0.231 हे, 808/2 - 0.065 हे, 812 रकबा 0.202 हे, 814 रकबा 0.186 हे, 815 रकबा 0.186 हे, 818/1 0.170 हे, 818/2 0.113 हे, 819 रकबा 0.057 हे, 820 रकबा 0.073 हे, 821 रकबा 0.109 हे, 822 पै रकबा 0.300 हे, 823 पै. 0.039 हे, 824 पै. 0.057 हे, 825 रकबा 0.283 हे. 826 रकबा 0.255 हे., 817/1 रकबा 0.059 हे, 817/2 रकबा 0.024 हे, 827 रकबा 0.073 हे भूमि का सीमांकन उपस्थित संस्था के प्रतिनिधि, सरहदी भूमि स्वामियो व अन्य पंचगणो के उपस्थिति में संपादित किया। मौके पर अस्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाये गये फिल्ड बुक पृथक से तैयार की गई मौका पंचनामा मौके पर सूचना उपरांत उपस्थित पंचगणो के समक्ष तैयार किया जिसे हस्ताक्षर कर तसदीक किया सो सही।

[signature]

राजेश पटेल

नेत्रपालसिंह

नन्दकिशोर

जगदीश

पुरुषोत्तम पटेल

ओमप्रकाश परमार

ग्राम - बिजलपुर
तहसील - इन्दौर

A to B = 02.05
C to D = 02.05
A to C = 01.96
B to D = 01.96
E to F = [illegible]
I to J = 06.03
H to F = 03.75
H to G = 02.70
G to R = 03.20
[illegible] to S = 00.30
[illegible] T = 00.45
[illegible] to I = 17 Miter
B to E1 =
[illegible] 1.7 [illegible]

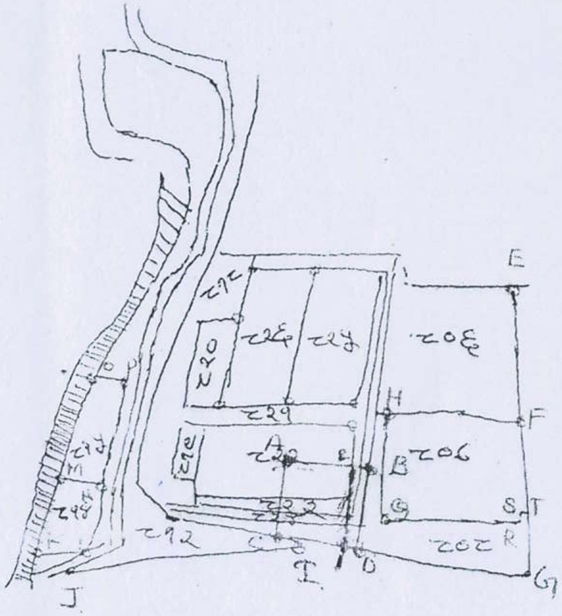

[signature]

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

ा ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्षः 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	0.7250नाला 0.7250	(शासकीय)									

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

Specimen copy
Pending for Digital signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्षः 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	0.1940	श्रीसृष्टिकन्ट्रक्शनप्रालि पिता ो पता सर्वे नं 379/4 बिजलपुर एबी रोड फलबागकेसामने 422423 गोयलनगर इन्दौर 301 चन्द्रलोक अपार्ट इन्दौर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.11							0.1940		(यह जमीन सिंचित है) ना. प. क्र. 61 आ .दि. 5/1/2010से नामंान्तरण स्वीक्रत

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Specimen copy
Pending for Digital signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

...का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	0.4130 0.4130	(शासकीय)									श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र.05/अ-74/2018-19 आ. दि. 18/12/2018 के अनुसार ग्राम बिजलपुर के सर्वे न. 402,441 व् 832 की नौइयत रास्ता मद में परिवर्तन की गई

Specimen Copy
Pending for Digital Signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	0.2830	श्रीसृष्टिकन्ट्रक्शनप्रालि पिता ःो पता सर्वे नं 379/4 बिजलपुर एबी रोड फलबागकेसामने 422423 गोयलनगर इन्दौर 301 चन्द्रलोक अपार्ट इन्दौर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69							0.2830		(यह जमीन सिंचित हैं)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Specimen copy
Pending for Digital signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			खाते की भूमि: पड़ती का क्षेत्रफल			खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	0.3320नाला 0.3320	(शासकीय)									

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

Specimen copy
Pending for Digital signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405/1	0.1870	श्रीसृष्टिकन्ट्रक्शनप्रालि पिता ो पता सर्वे नं 379/4 बिजलपुर एबी रोड फलबागकेसामने 422423 गोयलनगर इन्दौर 301 चन्द्रलोक अपार्ट इन्दौर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि-स्वामी भू-राजस्व 2.62							0.1870		(यह जमीन सिंचित है) नाप क्र 94 आदेश दिनांक 6/9/2010 अनुसार नामा. स्वीकृत होने से नाम लागू

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

Specimen Copy
Pending for Digital Signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405/2	0.2020	मदनमोहन,सीताराम पिता कन्हैयालाल जाति माली पता सा देह भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00							0.0220 0.1800		(यह जमीन सिंचित है)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

Specimen copy
Pending for Digital signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्षः 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	0.2710चरनोई का.का. 0.2710	(शासकीय)									श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र.05/अ-74/2018-19 आ.दि. 18/12/2018 के अनुसार ग्राम बिजलपुर के सर्वे न. 402,441 व् 832 की नौइयत रास्ता मद में परिवर्तन की गई

Specimen copy
Pending for Digital Signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्षः 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	खाते की भूमि — पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814 815 रकबा 0.186	0.3720	श्रीसृष्टिकन्ट्रक्शनप्रालि पिता ो पता सर्वे नं 379/4 बिजलपुर एबी रोड फलबागकेसामने 422423 गोयलनगर इन्दौर 301 चन्द्रलोक अपार्ट इन्दौर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 10.58							0.3720		(यह जमीन सिंचित है) नोट ब नं 454 अनुसार

Specimen copy
Pending for Digital signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

...ा ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
832	0.0970चरनोई का.का. 0.0970	(शासकीय)									श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र.05/अ-74/2018-19 आ.दि. 18/12/2018 के अनुसार ग्राम बिजलपुर के सर्वे न. 402,441 व् 832 की नौइयत रास्ता मद में परिवर्तन की गई

Specimen Copy
Pending for Digital Signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्षः 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816/1	0.0250	श्रीसृष्टिकन्ट्रक्शनप्रालि पिता ः पता सर्वे नं 379/4 बिजलपुर एबी रोड फलबागकेसामने 422423 गोयलनगर इन्दौर 301 चन्द्रलोक अपार्ट इन्दौर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.48							0.0250		(यह जमीन सिंचित है) नोट ब नं 454 अनुसार

Specimen copy
Pending for Digital signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्रामः बिजलपुर	हल्का : बिजलपुर	रा.नि.म. : राऊ -1	तहसील : इन्दौर	जिला : इन्दौर	वर्षः 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816/2	0.3840	श्रीसृष्टिकन्ट्रक्शनप्रालि पिता ो पता सर्वे नं 379/4 बिजलपुर एबी रोड फलबागकेसामने 422423 गोयलनगर इन्दौर 301 चन्द्रलोक अपार्ट इन्दौर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.60							0.3840		

Specimen copy
Pending for Digital signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Annexure-6

Joint Inspection & Action Taken Report
(NGT Case no. 641/2019)

Photograph showing channelization of nalla by M/s. Shri Shristi Construction Pvt. Ltd. Bijalpur, Indore

Photograph taken during inspection of colony being develop by M/s. Shri Shristi Construction Pvt. Ltd. Bijalpur, Indore

Annexure-7

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

पं.दीनदयाल उपाध्याय झोन क. 13

दिनांक 18-9-19

क्रमांक 833

प्रति,

आर.के. गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
योजना क्रमांक 18–सी प्लाटनं. 1,
पार्ट–2 अरण्य, विजयनगर, इंदौर 452010

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 641/2019/ (श्री अनिल विरुद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के तारतम्य में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 2734, दिनांक 12.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 641/2019 /(श्री अनिल विरुद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के संबंध में जानकारी चाही गई थी, उक्त प्रकरण में भवन निरीक्षक झोन क्र. 13 से जानकारी प्राप्त की गई है जो कि संलग्न कर आपकी ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

18/9/19

झोनल अधिकारी, झोन क. 13
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

प.दीनदयाल उपाध्याय झोन क्र. 13

क्रमांक.................. दिनांक....................

प्रति,

झोनल अधिकारी
पं.दीनदयाल उपाध्याय झोन क्र. 13
नगर पालिक निगम, इन्दौर

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 641/2019 /(श्रीअनिल विरुद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के तरतम्य में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 799 दिनांक 13.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 641/2019 /(श्री अनिल विरुद्ध म.प्र. शासन) में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी आदेश के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जो प्राप्त जानकारी अनुसार आपके समक्ष जानकारी हेतु प्रेषित।

1. मेसर्स श्री सृष्टि कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कालोनी (आवासा एवेन्यू) से संबंधित अनुज्ञाएं की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. मेसर्स श्री सृष्टि कंस्ट्रक्शन द्वारा खसरा नंबर 399 एवं 404 नाला पर जो पुलिया का निर्माण किया गया है, वह कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त आदेश प्रकरण क्रमांक 26/अ–74/2009–10, दिनांक 30.03.2010 को कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
3. मेसर्स श्री सृष्टि कंस्ट्रक्शन द्वारा मौके पर नाले के समीप कोई भी चैनलाइजेशन का कार्य नहीं किया गया है, केवल कंपनी के निजी स्वामित्व की भूमि पर सीमांकन करवाकर बाउंड्रीवाल बनाई गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है तथा नाले पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करते हुए नाले के बहाव को नहीं रोका गया।
4. ग्राम बिजलपुर तहसील राव, जिला इंदौर के कृषकों द्वारा शासकीय भूमि पर रोड हेतु विकास अनुमति माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 1344/क.री./2018, दिनांक 18.12.2018 प्रकरण क्रमांक 05/अ–74/ 2018–19 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।
5. मौके पर जो रोड निर्माण कार्य किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का पेड़ अथवा वृक्ष कटा हुआ नहीं पाया गया है, जिसकी फोटो छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

o/c.

भवन निरीक्षक, झोन क्र. 13
नगर पालिक निगम, इन्दौर

आवक क्र 1953A
दिनांक 18.9.19